सूचना पत्र 14 (जुन 2006)

किन बातों से आई.एम.एस. एक्ट का उल्लंघन होता है?

यदि शिशु दूध पूरक, शिशु आहार या दूध की बोतलें बनाने वालेः

1. दो वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए किसी भी नाम से आहार के प्रयोग को वढ़ावा देता है।
2. छः महीने की आयु से पहले शिशु आहार के प्रयोग को वढ़ावा देता है।
3. टेलिविजन, समाचार पत्र, पत्रिकायें, एस एम एस, ई–मेल, रेडियो और छोटी पुस्तिका आदि द्वारा प्रचार करता है।
4. किसी व्यक्ति द्वारा मुफ्त सामान या नमूने बंटवाता है।
5. किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिलाओं से सम्पर्क करता है।
6. किसी व्यक्ति को उपहारों द्वारा प्रेरित करता है।
7. माताओं, परिवारों आदि को सूचना और शिक्षण सामग्री वितिरित करता है। (वे शिक्षण सामग्री स्वास्थय कर्मचारियों जैसे–डाक्टरों, नर्सों आदि को दे सकते हैं अगर यह जानकारी आई एम एस एक्ट, 2003 के पेरा 7 के अनुसार हैं। शिक्षण सामग्री किसी कम्पनी के शिशु आहार को वढ़ावा देनी वाली नही होनी चाहिए।
8. डिब्बे या लेबल पर माँ, शिशु, कार्टून या कोई अन्य चित्र छापता हैं।
9. इन उत्पादों को वढ़ावा देने के लिए अस्पताल, नर्सिंग होम, दवा की दुकान पर पोस्टर या विज्ञापन लगाता है।
10. इन उत्पादों को वढ़ावा देने के लिए डाक्टरों, नर्सों को कमीशन देता है।
11. माँ और उसके परिवार के सदस्यों को इन उत्पादों को किस प्रकार देना है बताता है। केवल एक डाक्टर ही माँ को यह बता सकता है।
12. इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डाक्टरों, नर्सों को उपहार देता है।
13. डाक्टरों, नर्सों, संस्थाओं (आई ए पी, आई एम ए, एन एन एफ आदि) को लाभ देता है। उदाहरण के लिए, सेमिनार, मीटिंग, सम्मेलन, प्रतियोगिता आदि को आयोजित करने के लिए फंड, एजुकेशनल कोर्स की फीस , प्रोजेक्ट, अन्वेशण कार्य को स्पांसर, यात्रा और डाक्टरों की मीटिंग को स्पांसर करता है।
14. इन उत्पादों की बिक्री के आधार पर कर्मचारियों को एक निश्चित कमीशन देता है।

जनता की जानकारी के लिए जारी

ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बी॰पी॰एन॰आई॰)
बी॰पी॰–33, पीतमपुरा, दिल्ली–110 034
फोनः 91–11–27343608, 42683059, फैक्सः 91–11–27343606
इमेलः bpni@bpni.org